अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2020 (RCMS 2020/00003) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 46F/986472) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

17.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 09 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित कर प्रार्थी को हर्जाना दिलाने की प्रार्थना की है और वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2019 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 02.08.2019 आपके कार्यालय में पहुचनें की तारीख व आर.आर. व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. प्रार्थी का पत्रांक उपरोक्त के पहुचंन से दिनांक 30.10.19 तक जो जो कार्यवाही की गई, उसकी दिनांक प्रत्येक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति से दिनांक 30.10.19 तक जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा जो–जो कार्यवाही कर उसका नाम व पद की सूचना।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2020

4. श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश 19.03.2019 के आधार पर श्री सुरेन्द्र सिंह कोषाधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र छाबडा स्टाम्प वेंडर एवं सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने बाबत सूचना व एफ.आई.आर. दर्ज की प्रमाणित प्रति।
5. दिनांक 19.03.2019 को श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के आदेश पारित करने के उपरान्त आज्ञा की पालना न करने पर धारा 188 भारतीय दंड सहिता के अन्तर्गत कोषाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.08.19 पर जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार द्वारा व अधिकारी द्वारा दिंनाक वाइज की गई है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.08.19 पर धारा 188 आई.पी.सी. के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह, कोषाधिकारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने व न करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. कोषाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह अपने पत्रांक में स्वीकार किया है कि श्री महेन्द्र छाबडा स्टाम्प वेंडर मे वर्ष 2000–2001 का स्टाम्प रजिस्टर जमा नही करवाया है इस बाबत सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2020

8. श्री सुरेन्द्र सिंह कोषाधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश दिनांकित 19.03.2019 की अवज्ञा, एफ.आई.आर न करने के सम्बन्ध में की है। अवज्ञा जिस अधिनियम की जिस धारा में की है उस अधिनियम व धारा की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
9. श्री महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेडंर व कोषाधिकारी के विरूद्ध दोषी होने के आधार पर दण्डिक कार्यवाही जो की जा रही है उस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 186 दिनांक 13.11.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया हैः

> आप द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 30.10.19 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें आप द्वारा बिन्दु सं0 1 से 9 तक सूचना चाही गई है। अतः इस हेतु सूचना देने से पूर्व निर्धारित 2/—प्रति शुल्क से कुल पृष्ठ 10 के हिसाब से 20/— शुल्क आप इस कार्यालय में कार्यदिवस में जमा करवायें जिससे आपको वांछित सूचना भिजवायी जा सके।
>
> -sd-
>
> प्रभारी अधिकारी पंजीयन
> एवं अति. जिला कलक्टर
> श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा समय सीमा में जवाब दिया जा चुका है। अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार राजकोष में शुल्क जमा कर, वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर